रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112025-268100 CG-DL-E-29112025-268100

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 791]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29, 2025/अग्रहायण 8, 1947

No. 791]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 29, 2025/AGRAHAYANA 8, 1947

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 877(अ).— केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

8030 GI/2025 (1)

- 2. नियम 13 में, उप-नियम (4) में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
- "(झ) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के वन विभाग का नोडल अधिकारी इन नियमों के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण हेतु अवक्रमित वन भूमि की पहचान करने में प्रयोक्ता अभिकरण को सुविधा और सहायता करेगा।"। `

[फा. स. एफसी-11/104/2025-एफसी]

आर. रघु प्रसाद, वन महानिरीक्षक

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) स. सा. का. नि. 869(अ), तारीख 29 नवंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा. का. नि. स. 582(अ) तारीख 20 सितंबर, 2024 और सा. का. नि. स. 593(अ) तारीख 31 अगस्त, 2025 द्वारा संशोधित किए गए।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2025

- **G.S.R. 877(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, namely: -
- **1. Short title, and commencement**. (1) These rules may be called the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Second Amendment Rules, 2025.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2 In rule 13, in sub-rule (4), after clause (h), the following clause shall be inserted, namely,-
    - "(i) the Nodal Officer of the State Forest Department of the State Government or Union territory Administration shall facilitate and assist the user agency in identifying degraded forest lands for compensatory afforestation under these rules."

[F. No. FC-11/104/2025-FC]

R. RAGHU PRASAD, Inspector General of Forests

**Note**: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section(i), vide number G.S.R. 869(E), dated 29<sup>th</sup> November, 2023 and subsequently amended vide number G.S.R. 582(E), dated the 20<sup>th</sup> September, 2024 and number G.S.R. 593(E), dated the 31<sup>st</sup> August, 2025.